कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ।

संख्याः– 1700/29–1095 दिनांकः– 19 सितम्बर, 2017।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
मेरठ।

विषयः **लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय, मेरठ के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कुल 17 श्रेणियों की सूचनाएं जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराई जानी हैं।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कुल 17 श्रेणियों की सूचनाएं नियत बिन्दुओं पर तैयार कर इस अनुरोध के साथ संलग्न प्रेषित हैं कि कृपया उक्त सूचना को जन–सामान्य की जानकारी हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
19/09/2017
(सुनेश कुमार)
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
मेरठ।

प्रतिलिपिः– 1–जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–अपर जिलाधिकारी–प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
मेरठ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत बनाए गए मैनुअल की सूचना

4(1)(बी)		
(i)	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य	कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाता सूची के बनाने तथा लोक सभा और विधान परिषद/विधान सभा के निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करता है।
(ii)	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य–	निर्वाचन सम्बन्धी सभी शक्तियां भारत निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत निहित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है।
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रख्यापित अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जिलाधिकारी पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी संसुचित हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत अधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों जिला/तहसील/ब्लाक/मतदान स्थल स्तर से अनुश्रवण करते हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।
(iv)	कृत्यों के निवर्हन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य आवंटित किया जाता है। अधीनस्थ अधिकारी आवंटित कार्य को समयबद्ध रूप से निस्तारित करते हैं।
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निवर्हन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख–	निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियम, अनुदेश एवं निर्देशिका का अनुपालन किया जाता है। जिला निर्वाचन कार्यालय, मेरठ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, उपनियम, अनुदेश आदि लागू होते हैं।
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण–	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन विधि निर्देशिका आदि जिनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी निति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभियावेदन के लिए विद्यमान है–	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों में जन साधारण का सहयोग/परामर्श लिए जाने का प्राविधान है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली विभिन्न निर्वाचक नामावलियों तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं निर्वाचनों के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता है, और इसमें जनता का सहयोग लिया जाता है।

(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है, और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुँच होगी, विवरण–	–शून्य–
(ix)	अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका–	जिला निर्वाचन कार्यालय, मेरठ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियम, उपनियम, अनुदेश आदि लागू होते हैं, और कार्मिकों द्वारा राज्य सरकार के नियमों, उप नियम, अनुदेशों के अनुसार ही शासकीय कार्यों को सम्पादित कराया जाता है।
(x)	प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली ही है, जो उसके विनिमयों में यथाउपबंधित हो–	संलग्न है। (तालिका–I)
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संचित्रणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट–	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा छपाई एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र और समय–समय पर सम्पादित होने वाले निर्वाचनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रथमतः राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध कराती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धनावंटन जिलों को उपलब्ध कराया जाता है, जो आयोजनेत्तर पक्ष में प्राप्त होता है।
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं–	इस विभाग द्वारा किसी सामाजिक कार्यकलाप का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है।
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां–	–शून्य–
(xiv)	किसी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों, या उसके द्वारा धारित हों–	भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.eci.gov.in तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाईट www.ceouttarpradesh.nic.in एवं जिले की वेबसाईट www.meerut.nic.in पर उपलब्ध हैं।
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है, तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हों–	कलेक्ट्रट कम्पाउण्ड स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ। (अपरॉन्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे)
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियों–	लोक सूचना अधिकारी का नाम श्री सुनेश कुमार, पदनाम–सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ और

		मो0नं0–9454418073 है। जिला निर्वाचन कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले नकद स्वरूप द्वारा या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा आवेदन शुल्क संलग्न कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु पत्राचार/सम्पर्क किया जा सकता है।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए–	भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा ऐसी अन्य सूचनाओं के विहित किए जाने के उपरान्त उसे यथासमय अपडेट किया जाएगा।

19/09/2017

(सुनेश कुमार)
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
मेरठ।

तालिका–I

जिला निर्वाचन कार्यालय, मेरठ में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक/पे–मैट्रिक्स का विवरणः–

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पे–मैट्रिक्स में मूल वेतन/वेतन
1	श्री सुनेश कुमार	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, मेरठ	52000
2	श्री ऋषि कुमार शर्मा	वरिष्ठ सहायक	43600
3	श्री हरिओम शर्मा	वरिष्ठ सहायक	43600
4	श्री शमशाद अली जैदी	वरिष्ठ सहायक	43600
5	श्री सन्त सिंह	वरिष्ठ सहायक	38100
6	श्री दीपक कुमार	वरिष्ठ सहायक	38100
7	कु0 चारू रानी	कनिष्ठ सहायक	24500
8	श्री राजकुमार	चौकीदार	32300
9	श्री सचिन कुमार	चपरासी (संविदा)	10051.78

15/07/2017

(सुनेश कुमार)
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
मेरठ।